

अध्याय— V

रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड तथा रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व में हिस्सेदारी

5.1 रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड तथा रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा

रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर सी एल) और रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड (आर टी एल) रिलायंस कम्युनिकेशन्स (आर कॉम) की दो शाखाएँ हैं जो सम्पूर्ण भारत में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। जहाँ आर टी एल ने सन् 1995 में सात¹ लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों (एल एस ए) के लिए सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस (सी एम टी एस) लाइसेंस प्राप्त करके जीएसएम सेवा प्रदाता के रूप में कार्य प्रारम्भ किया, आर सी एल, पूर्व में रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड (आर आई सी) ने सर्वप्रथम सन् 1997 में गुजरात में आधारभूत सेवाओं (बेसिक लाइसेंस) के लिए लाइसेंस प्राप्त किए। सन् 2001 में, आर सी एल ने अट्टारह² अन्य सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त किए जिनमें से सभी नवंबर 2003 में यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) में परिवर्तित हो गये थे। सितंबर 2004 में आर सी एल ने जम्मू एवं कश्मीर सेवा क्षेत्र के लिए भी यू ए एस एल प्राप्त किया जिसने इसका अधिकार क्षेत्र 20 एल एस ए तक विस्तारित कर दिया। आर टी एल ने सन् 2001 में कोलकाता के लिए सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त करके अपने प्रचालन में एक और लाइसेंस सेवा क्षेत्र को शामिल किया। इस प्रकार बिहार, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के छह लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में दोनों आर सी एल व आर टी एल के पास लाइसेंस थे।

उपरोक्त बताए गये लाइसेंसों के अतिरिक्त आर सी एल के पास सन् 2002 में अर्जित एन एल डी एवं आई एल डी लाइसेंस भी हैं। जहाँ यह लाइसेंस आर सी एल की दूरसंचार सेवाओं को समर्थित करती है, वहीं इसकी इंटरनेट सेवाएँ रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर सी आई एल) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी, जिसके पास आई एस पी 'ए' लाइसेंस था। आर सी आई एल, आर सी एल के लिए बिलिंग एवं संग्रह करने वाला अभिकर्ता भी है। आई एस पी लाइसेंस की वैधता नवंबर 2013 में समाप्त हो चुकी थी तथा इसके परिणामस्वरूप इंटरनेट व्यापार को आर सी एल के यू ए एस एल के साथ एक उन्नतिशील व्यवस्था प्रतिष्ठान के आधार पर विलय किया गया है। उपरोक्त व्यवस्था के लिए डी ओ टी का अनुमोदन प्रतीक्षित था (जून 2016)।

5.1.1 आर सी एल एवं आर टी एल के द्वारा धारित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम

सन् 2008 में आर सी एल ने जी एस एम स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तथा आर टी एल को सी डी एम ए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया जिसने इन कंपनियों को दोनों तकनीकों में सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया। इन कंपनियों द्वारा धारित स्पेक्ट्रम नीचे दर्शाया गया है:

¹ असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नार्थ ईस्ट, ओडिशा और पश्चिम बंगाल

² आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल

तालिका 5.1

आर सी एल				
एल एस ए	तकनीकी		माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम	माइक्रोवेव बैंक बोन स्पेक्ट्रम
	जी एस एम	सी डी एम ए		
			(मेगाहर्ट्ज में) ³	
आंध्र प्रदेश	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2x5	112	56
बिहार		2 x 5	56	56
गुजरात	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 3.75	112	112
हरियाणा	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 3.75	112	56
हिमाचल प्रदेश		2 x 2.5	112	56
जम्मू एवं कश्मीर	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 2.5	0	0
कर्नाटक	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	112	112
केरल	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	168	56
मध्य प्रदेश		2 x 5	112	56
महाराष्ट्र	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	168	56
ओडिशा		2 x 3.75	112	56
पंजाब	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 3.75	112	56
राजस्थान	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 3.75	112	56
तमिलनाडु	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	112	56
उ. प्र. (पश्चिम)	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	168	56
उ. प्र. (पूर्व)	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	112	56
पश्चिम बंगाल		2 x 3.75	112	56
कोलकाता		2 x 5	112	0
दिल्ली	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	112	0
मुंबई	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	168	0
आर टी एल				
एल एस ए	तकनीकी		एम डब्ल्यू एक्सेस स्पेक्ट्रम	एम डब्ल्यू बैंक बोन स्पेक्ट्रम
	जी एस एम	सी डी एम ए		
			(मेगाहर्ट्ज में)	
असम	2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज	2 x 2.5	168	56
बिहार	2 x 8 मेगाहर्ट्ज		112	56
हिमाचल प्रदेश	2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज		112	56
कोलकाता	2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज		112	
मध्य प्रदेश	2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज		112	56
नार्थ ईस्ट	2x6.2 मेगाहर्ट्ज	2x2.5	112	56
ओडिशा	2x6.2 मेगाहर्ट्ज		112	56
पश्चिम बंगाल	2x6.2 मेगाहर्ट्ज		112	56

आर टी एल ने दूरसंचार विभाग द्वारा मार्च 2015 में की गई नीलामी में सात लाइसेंस सेवा क्षेत्रों अर्थात् असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्व, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल, जिनके लाइसेंस दिसंबर 2015 में खत्म हो रहे थे, के लिए दिसम्बर 2015 में स्पेक्ट्रम खरीदे। नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम का विवरण निम्नलिखित था :

³ एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

तालिका 5.2

परिमंडल	900 मेगाहर्ट्ज	1800 मेगाहर्ट्ज
असम	6.2	
बिहार	6.2	1.8
हिमाचल प्रदेश	6.2	
कोलकाता		6.2
मध्य प्रदेश	6.2	
नॉर्थ ईस्ट	6.2	1.8
ओडिशा	6.2	
पश्चिम बंगाल	6.2	1.8

5.1.2. आर सी एल तथा आर टी एल के द्वारा भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी तथा बताया गया राजस्व

तालिका 5.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपभोक्ता आधार (करोड़ में)	जी आर	कटौतियां	ए जी आर	जी आर से ए जी आर का प्रतिशत	राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ + एस यू सी)
2010-11	13.70	17,717.15	6,869.30	10,847.85	61.23	1,167.64
2011-12	15.43	16,692.31	5,934.96	10,757.35	64.45	1,160.05
2012-13	12.42	16,660.36	6,289.02	10,371.33	62.25	1,114.28
2013-14	11.21	17,185.76	6,093.12	11,092.65	64.55	1,215.98
2014-15	11.07	16,460.26	6,221.74	10,238.52	62.2	1,098.50
कुल		84,715.84	31,408.14	53,307.70	62.93	5,756.45

5.2. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किए गये आर सी एल व आर टी एल के ए जी आर विवरणों सहित लेखाकरण अभिलेखों की समीक्षा ने लाइसेंस शर्तों का सही प्रकार से अनुपालन नहीं होने के उदाहरण दर्शाये जिससे सरकार को भुगतान की जाने वाली राजस्व हिस्सेदारी पर असर पड़ा जैसा कि आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

5.2.1 यू ए एस लाइसेंस के अंतर्गत गतिविधियों से अर्जित राजस्व को आई एस पी लाइसेंस को पास ऑन कर राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान से बचना

रिलाइंस कम्प्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर सी आई एल) जो 'ए' कैटेगरी आई एस पी लाइसेंसधारक है आर सी एल की सहायक कंपनी थी। आई एस पी अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आर सी आई एल द्वारा देय लाइसेंस फीस केवल एक रूपया (₹ 1) प्रतिवर्ष थी। आर सी आई एल की गतिविधियों में ब्रांड नामों आर कनेक्ट⁴, आर वर्ल्ड⁵, 1234, 2345 तथा एस एम एस कंटेंट सेवाओं के अंतर्गत इंटरनेट, विविध

⁴ आर कनेक्ट—आर सी आई एल द्वारा आर सी एल उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं

एप्लीकेशन, कंटेंट व अन्य सहायक सेवायें उपलब्ध कराना शामिल था। 'आर कनेक्ट' जबकि आर सी एल उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी गई इंटरनेट सेवा थी, 'आर वर्ल्ड' एप्लीकेशन एवं कंटेंट जिसमें मोबाइल टीवी, वीडियो, गेम्स, क्रिकेट अपडेट, म्यूजिक एवं रिंग टोन इत्यादि शामिल थी हेतु एकल समाधान स्थल था।

आर सी एल, एक यू ए एस लाइसेंसधारी, का आर सी आई एल के साथ अनुबंध थे जिसके द्वारा आर सी आई एल उपरोक्त सभी सेवाएं आर सी एल के उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा तथा आर सी एल उपरोक्त सेवाओं में सहायतार्थ वांछित एक्सेस सहायता उपलब्ध करायेगी। आर सी एल तथा आर सी आई एल के बीच अनुबंधों के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच 'आर कनेक्ट' सेवाओं तथा एप्लीकेशन एवं कंटेंट सेवाओं ('एस एम एस' एवं 'एम एम एस' आधारित एप्लीकेशन तथा कंटेंट सेवाओं सहित) के लिए राजस्व की हिस्सेदारी करनी थी।

आर सी एल व आर सी आई एल दोनों कंपनियों की लाइसेंस गतिविधियों के संदर्भ में दोनों इकाईयों के लेखाकरण अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि सेवाये जिन्हें आर सी एल के यू ए एस लाइसेंस के अंतर्गत सामान्य गतिविधियाँ होना चाहिए था, को आई एस पी लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था तथा इन सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आर सी आई एल (आई एस पी लाइसेंसधारी) के लेखा में शामिल किया गया तथा राजस्व हिस्सेदारी हेतु जी आर की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया था। आर सी आई एल में लेखांकित राजस्व के संवर्ग, जिसका आर सी एल द्वारा प्रतिवेदित जी आर पर असर पड़ा, की चर्चा नीचे की गई है:

5.2.1 (अ) आर वर्ल्ड एवं एस एम एस कंटेंट की मूल्य संवर्द्धन सेवाओं (वैस) के कारण एण्ड यूजर्स राजस्व का सकल मूल्य

आर सी एल व आर सी आई एल के बीच अनुबंध के अनुसार इंटरनेट, विविध एप्लीकेशन, कंटेंट तथा सहायक सेवाएं आर सी आई एल द्वारा 'आर वर्ल्ड' एवं 'एस एम एस कंटेंट सर्विस' ब्रांड नामों से आर सी एल ग्राहकों को उपलब्ध कराई जायेंगी। अनुबंध में प्रावधान था कि एप्लीकेशन एवं कंटेंट सर्विस के लिए आर सी एल उपभोक्ताओं द्वारा देय अंशदान (सब्सक्रिप्शन) फीस का 25 प्रतिशत तथा ₹ 1 प्रति इवेंट/एंट्री/मैसेज आर सी आई एल द्वारा आर सी एल को भुगतान किया जाना था। तदनुसार आर वर्ल्ड एवं एस एम एस कंटेंट सेवाओं के कारण एण्ड यूजर्स राजस्व (उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व) को आर सी आई एल के लेखा में लेखांकित किये गये थे तथा राजस्व का एक हिस्सा आर सी एल को स्थानान्तरित किया गया था। राजस्व का हिस्सा मुख्यतः आर सी एल द्वारा प्रदान किए गए अवसंरचना सहायता हेतु एक्सेस प्रभार था।

यह देखा गया कि आर सी आई एल द्वारा आर वर्ल्ड एवं एस एम एस कंटेंट सेवाओं के कारण रिकॉर्ड किये गये राजस्व वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान तेजी से घटे तथा वर्ष 2014-15 में कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं किया गया जबकि आर सी एल के लेखा में सहश्रय राजस्व आर सी आई एल के लेखा में शामिल किए गए राजस्व से अधिक हो गया। रूझान में बदलाव इस मुख्य तथ्य के कारण था कि आर सी आई एल की आई एस पी लाइसेंस 2013 में समाप्त हो गया तथा इसलिए संपूर्ण राजस्व आर सी एल के लेखा में दर्शाया गया था।

⁵ आर वर्ल्ड, 1234, 2345—एप्लीकेशन्स, कन्टेंट तथा अन्य सहायक सेवाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर सी आई एल की लेखाबहियों में आर वर्ल्ड एवं एसएमएस कंटेंट सेवाओं से ₹ 1036.36 करोड़, को राजस्व के रूप में लेखा किया गया था तथा ₹ 327.28 करोड़ आर सी एल को स्थानान्तरित किया गया था। चूंकि आर सी एल ग्राहकों को आर सी आई एल द्वारा प्रदान की गई सेवायें मूल्यवर्धित सेवाओं (वी ए एस) की प्रकृति के थे, इस मद में उत्पन्न हुआ समस्त राजस्व आर सी एल के सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए था। समस्त राशि के सम्मिलित न करने के कारण, आर सी एल का जी आर 2010-11 एवं 2011-12 दो वर्षों हेतु ₹ 709.59 करोड़ कम बताया गया था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि उसके उपभोक्ताओं ने आर सी एल के साथ-साथ आर सी आई एल दोनों की सेवाओं का लाभ लेने हेतु सहमति देते हुए ग्राहक अर्जन फार्म (सी ए एफ) पर हस्ताक्षर किए थे। उपभोक्ताओं को वायस सेवाएं आर सी एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी तथा इंटरनेट, कंटेंट एवं डाटा सेवाएं आर सी आई एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। चूंकि डाटा व कंटेंट सेवाएं आर सी आई एल द्वारा प्रदान की गई थीं, डाटा सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आर सी आई एल द्वारा बुक किया गया। एस एम एस कंटेंट के रूप में आर सी आई एल द्वारा बुक किया गया राजस्व आर सी एल नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को कंटेंट उपलब्ध कराने के कारण था। यह भी सूचित किया गया कि कंटेंट सेवाओं को उपलब्ध कराने के प्रावधान में लाइसेंस अथवा पंजीकरण तक की आवश्यकता नहीं होती है। वी ए एस सेवा का विपणन एवं प्रदान कंटेंट प्रदाता/कंटेंट संयोजकों द्वारा "ऑफ डेस्क मॉडल" के संबंध में, जो ट्राई द्वारा स्वीकार किया गया एक सिद्धान्त है, सीधे तौर पर दिया गया। इसके अतिरिक्त बताया गया कि आर सी आई एल के साथ व्यवस्था की ट्राई/डी ओ टी द्वारा भी जांच की गई थी तथा उनके द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष प्रतिवेदित नहीं किये गये थे।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया गया:

- आर सी एल व आर सी आई एल के बीच व्यवस्था दो इकाईयों के बीच सेवा एवं लेखाकरण के प्रावधान को सुगम बनाने हेतु थी। सेवा का उपभोग करने वाले उपभोक्ता इसका हिस्सा नहीं थे तथा अतः, आर सी एल द्वारा सी ए एफ पर ग्राहक की सहमति, आर सी आई एल की सेवाओं का उपभोग करने की सहमति, वी ए एस राजस्व को राजस्व हिस्सेदारी के लिए प्रस्तावित नहीं करने का औचित्य नहीं हो सकता है।
- आर सी एल उपभोक्ताओं को कंटेंट वितरण इंटरनेट पर नहीं उपलब्ध था तथा इसलिए यह आइ एस पी लाइसेंस के क्षेत्र से परे था।

इस मद में जी आर को कम दर्शाने के कारण आर सी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 57.85 करोड़ एवं ₹ 25.48 करोड़ आई। (अनुलग्नक 5.01)।

5.2.1 (ब) कॉलर रिंग बैंक टोन्स के लिए प्रभार

कालर रिंग बैंक टोन्स (सी आर बी टी) आर सी एल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई मूल्य सर्वाधिकृत सेवा थी। लेकिन सी आर बी टी सेवाओं से वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 की अवधि के ₹ 323.84 करोड़ के राजस्व को आर सी एल के लेखा में बुक नहीं किया गया बल्कि आर सी आई एल के लेखा में लेखांकित किया गया था। चूंकि ये सेवाएं आर सी एल उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई मूल्य सर्वाधिकृत सेवाएं थीं इसलिए इस मद में राजस्व को आर सी एल के जी आर में राजस्व हिस्सेदारी

की गणना हेतु सभी वर्षों में शामिल किया जाना चाहिए था। आई सी एल द्वारा उपरोक्त लेखाकरण उपचार के कारण जी आर का कम बताना ₹ 323.84 करोड़ निकाला गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि:

- कंटेंट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई दूरसंचार लाइसेंस अथवा पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं थी।
- आर सी आई एल अलग विधिक इकाई के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक (स्टैंड अलोन बेसिस) कंटेंट सेवाएं उपलब्ध करा रहा था। एक उपभोक्ता जब ग्राहक अर्जन फार्म (सी ए एफ) पर हस्ताक्षर करता है तो आर सी एल के साथ साथ आर सी आई एल दोनों की सेवाओं के उपयोग हेतु सहमत होता है। उपभोक्ताओं को वायस सेवाएं आर सी एल द्वारा प्रदान की जाती हैं तथा इंटरनेट एवं कंटेंट सेवाएं आर सी आई एल द्वारा प्रदान की जाती हैं। अतः डाटा एवं कंटेंट सेवाओं से प्राप्त राजस्व आर सी आई एल द्वारा बुक किये गये हैं।
- आर सी एल एवं आर सी आई एल ग्राहकों को संबंधित सेवाओं के लिए बीजक जारी कर रहे हैं अर्थात् वायस के लिए आर सी एल तथा डाटा एवं कंटेंट के लिए आर सी आई एल। आर सी आई एल, आर सी एल के लिए बिलिंग व कलेक्शन अभिकर्ता था।
- मोबाइल ऑपरेटर्स की एक्सेस सेवाओं को कंटेंट प्रदाता आपसी अनुबंध के आधार पर पट्टे पर लेते हैं तथा वह ग्राहकों को मूल्य संवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। बिलिंग, कलेक्शन एवं ग्राहक सेवा वी ए एस/कंटेंट प्रदाता के अन्य उत्तरदायित्व हैं। इस प्रकार आर सी आई एल द्वारा वैस सेवाओं का प्रावधान "ऑफ डैक" मॉडल के अंतर्गत आता है।
- ट्राई/डी ओ टी ने भी पूर्व में कंपनी की उपरोक्त व्यवस्था की समीक्षा की है तथा उन्होंने कोई भी विपरीत निष्कर्ष प्रतिवेदित नहीं किये हैं।

प्रबंधन का औचित्य पैराग्राफ 5.2.1 (अ) उपरोक्त के अंतर्गत वर्णित समान कारणों से स्वीकार्य नहीं था। उक्त लेखांकन उपचार के कारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिये आर सी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी की कम भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 26.37 करोड़ तथा ₹ 11.64 करोड़ आयी थी। विवरण **अनुलग्नक 5.02** में है।

5.2.1 (स) आर सी एल की ब्लैकबेरी सेवाओं से राजस्व

आर सी एल के ब्लैकबेरी उपभोक्ताओं द्वारा 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के लिए उपयोग की गयी सेवाओं से प्राप्त राजस्व आर सी आई एल के लेखा में बुक किया देखा गया। चूंकि आर सी एल उपभोक्ताओं को प्रदान की गई ये सेवाएं मूल्य संवर्द्धित सेवाओं की प्रकृति की थीं, अतः इन सेवाओं से प्राप्त आय को आर सी एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु विचार करना चाहिए था। किन्तु यह देखा गया कि उपरोक्त राजस्व को राजस्व हिस्सेदारी हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इसका जी आर ₹ 90.37 करोड़ से कम बताया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि आर सी आई एल के लेखा में बुक किया गया राजस्व ब्लैकबेरी ग्राहकों की इंटरनेट/डाटा सेवाओं से प्राप्त आय थी। इंटरनेट सेवाएं आर सी आई एल ने उपलब्ध करायी थी तथा अतः इससे प्राप्त राजस्व को आर सी आई एल के अंतर्गत बुक किया गया। ब्लैकबेरी ग्राहकों से प्राप्त संपूर्ण वायस राजस्व आर सी एल में बुक किया गया और इन पर लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान किये गये थे। आर सी आई एल अखिल भारतीय आइ एस पी लाइसेंस के साथ पृथक वैधानिक इकाई थी तथा यह आई एस पी लाइसेंस के अंतर्गत आर सी एल की अवसंरचना का उपयोग करते हुए ग्राहकों को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रही थी। आई एस पी अनुबंध की शर्तों के अनुसार आर सी आई एल, आइ एस पी सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार संसाधनों को पट्टे अथवा किराये पर ले सकता है। चूंकि राजस्व इंटरनेट एवं डाटा सेवाओं से संबंधित है अतः आर सी आई एल ने उचित रूप से इस राजस्व को अपने बही खातों में शामिल किया है तथा इस राजस्व को आर सी एल के राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यू ए एस एल की शर्तों के अनुसार डाटा सेवाओं का प्रावधान लाइसेंस संबंधी गतिविधियों का हिस्सा था इसलिए लाइसेंस की परिधि में आने वाली गतिविधि से प्राप्त राजस्व लाइसेंसधारी के जी आर का हिस्सा होना चाहिए। यद्यपि आइ एस पी लाइसेंस ने आर सी आई एल को आई एस पी सेवाओं प्रदान करने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार सेवाएं पट्टे अथवा किराये पर लेने की अनुमति दी थी तथापि सेवा प्रयोगकर्ता आवश्यक रूप से आर सी एल के ग्राहक थे न कि आर सी आई एल के। अपने ग्राहकों को विविध सेवाएं देकर एक्सेस लाइसेंसधारी द्वारा जनित राजस्व इसके जी आर का हिस्सा होना चाहिए।

इस प्रकार डाटा/इंटरनेट सेवाओं से जनित राजस्व का राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु शामिल न करना लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं था जिसके कारण एल एफ का ₹ 7.32 करोड़ तथा एस यू सी का ₹ 3.23 करोड़ से कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.03)।

5.2.1 (द) 'आर कनेक्ट' सेवाओं से राजस्व

रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आर सी एल), एक यू ए एस एल लाइसेंसधारी, ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 'ए' श्रेणी आई एस पी लाइसेंसधारक (अप्रैल 2006) अनुषंगी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर सी आई एल) के साथ आरंभिक 3 वर्षों के लिए अनुबंध किया जो कि बाद में 31.03.2012 तक बढ़ाया गया। अनुबंध के अनुसार, आर सी आई एल को आर सी एल के उपभोक्ताओं को इंटरनेट देना था तथा आर सी एल को एक्सेस प्रभार का भुगतान ₹ 0.16 प्रति मिनट यूसेज की दर से करना था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये अभिलेखों में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के लिए ₹ 4179.55 करोड़ के राजस्व को आर कनेक्ट सेवाओं के कारण एण्ड यूजर्स राजस्व (ग्राहकों का राजस्व) के रूप में आर सी आई एल के लेखा में बुक किया गया तथा ₹ 2925.96 करोड़ को आर कनेक्ट के एक्सेस प्रभार के रूप में आर सी एल के लेखा में बुक किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ₹ 612.61 करोड़ के राजस्व को भी आर सी आई एल के लेखा में "आर जी एस एम डाटा एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज" के रूप में, 'वैल्यू एडेड सर्विस डाटा' तथा डोंगल सेवाओं को शुरू करने तथा बंद करने के प्रभारों से प्रशासनिक आय के रूप में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा का तर्क है कि यू ए एस लाइसेंस के अंतर्गत शामिल सेवायें इंटरनेट सेवाओं को भी शामिल करती है तथा इसलिए आर सी एल ग्राहकों को इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान आर सी एल की लाइसेंस गतिविधि का अंग था। इसीलिए आर सी एल ग्राहकों द्वारा आर कनेक्ट के माध्यम से उपयोग की गई इंटरनेट सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आर सी एल के सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रकार आर सी एल एवं आर सी आई एल के बीच व्यवस्था, जिसके द्वारा आर सी एल के इंटरनेट सेवाओं से प्राप्त राजस्व को केवल एक्सेस प्रभारों तक ही सीमित किया गया था, लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं था जिसके अंतर्गत यू ए एस लाइसेंस से प्राप्त संपूर्ण राजस्व को लाइसेंसधारी प्रचालक द्वारा राजस्व हिस्सेदारी में शामिल करने हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। सम्पूर्ण राजस्व को शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर ₹ 1866.20 करोड़ से कम बताया गया।

प्रबंधन ने आर सी एल ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित सी ए एफ की शर्तों तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार संसाधनों को पट्टे/लीज पर लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराने वाले आइ एस पी लाइसेंस अनुबंध में प्रावधान को उद्धृत करते हुए कहा (सितम्बर 2016) कि:

- आर कनेक्ट सेवाएं आर सी आई एल द्वारा 'ए' कैटेगरी (ऑल इंडिया) आई एस पी लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली डायल अप इंटरनेट सेवाएं हैं। यह लाइसेंस सन् 1998 में जारी किया गया था तथा इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई आई एस पी सेवा हेतु किसी लाइसेंस शुल्क का भुगतान देय नहीं था। आई एस पी अनुबंध के नियमों के अनुसार आर सी आई एल, आई एस पी सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार संसाधन पट्टे अथवा किराये पर ले सकती हैं।
- ग्राहक अर्जन फार्म (सी ए एफ) पर हस्ताक्षर करके अभिदाता दोनों कंपनियों अर्थात् आर सी एल और आर सी आई एल की सेवाओं को शुरू करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं इसलिए इंटरनेट और डाटा सेवाओं से राजस्व आर सी आई एल से सम्बन्धित हैं।
- चूंकि लाइसेंस प्रदाता ने आई एस पी लाइसेंसधारको को अपने ग्राहकों हेतु एक्सेस प्रदाताओं से एक्सेस बनाने के लिए अनुमति प्रदान की है, इसलिए आवश्यक रूप से इसका अर्थ है कि आई एस पी को एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं के साथ अनुबंध करना होगा। इस संबंध में आर सी आई एल एवं आर सी एल के बीच अनुबंध के अनुसार, आर सी आई एल ने अवसंरचना का उपयोग करने के लिए आर सी एल को एक्सेस प्रभार के रूप में 16 पैसे प्रति मिनट की दर से भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है। आई एस पी लाइसेंस बगैर-सुविधा आधारित लाइसेंस है तथा अधिकतर सभी आई एस पी एक्सेस प्रदाता की अवसंरचना पर वायरलाइन/वायरलेस अथवा केबल सेवा प्रदाताओं के माध्यमों से कार्य करते हैं। अतः ऐसे राजस्व को एक्सेस प्रदाता के लिए अर्जित राजस्व के रूप में लेखा में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेटवर्क के उपयोग के लिए एक्सेस प्रदाताओं को केवल एक्सेस प्रभारों का भुगतान होता है जिन्हें आर सी एल के राजस्व में शामिल किया गया है तथा देय लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।
- बताई गई प्रशासकीय आय, आर सी आई एल द्वारा प्रीपेड इंटरनेट ग्राहकों मुख्यतः इंटरनेट डोंगल ग्राहको से अर्जित की गयी थी। आर सी आई एल डायल अप सेवाओं के माध्यम से

इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा था। इंटरनेट सेवाओं के लिए डाटा योजना में प्रशासकीय प्रभारों का निश्चित घटक था, जो कि आर सी आई एल द्वारा बुक किया गया था। प्रशासकीय आय इंटरनेट डाटा प्लान से संबंधित है, इसलिए आर सी आई एल को केवल इस राजस्व को ही दर्ज करना है तथा इसे आर सी एल के राजस्व के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं की गयी क्योंकि:

- यू ए एस एल अनुबंध एक्सेस सेवा प्रदाता को इंटरनेट सेवाएं भी उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करता है। एक आई एस पी लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई इंटरनेट सेवाएं डायल अप सेवाएं हैं जो वायरलाईन के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती हैं। लेकिन आर सी एल के मोबाइल फोन ग्राहक कंपनी को यू ए एस लाइसेंसधारी के रूप में आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की सामर्थ्य का प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। यद्यपि जैसा कि प्रबंधन ने कहा, कि सी ए एफ पर हस्ताक्षर करके ग्राहक आर सी एल व आर सी आई एल दोनों कंपनियों का उपभोक्ता बन जाता है फिर भी, आर सी एल किसी भी तरीके से आर सी आई एल को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इसके साथ अपना स्पेक्ट्रम साझा नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच स्पेक्ट्रम को साझा करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए आर सी एल और आर सी आई एल के बीच अनुबंध, जिसने आर सी आई एल को आर सी एल की अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की, अधिकतम भौतिक कनेक्टिविटी का उपयोग कर आर सी एल ग्राहकों को केवल डायल-अप इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ही हो सकता था।
- चूंकि आर सी आई एल, एक आई एस पी के रूप में आर सी एल की भौतिक अवसंरचना का उपयोग कर केवल डायल-अप कनेक्शनों को उपलब्ध करा सकती थी इसलिए इसकी इंटरनेट आय मोबाइल ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को शामिल नहीं कर सकती। अतः एण्ड यूजर्स से भी एकत्रित किया गया संपूर्ण राजस्व भी आर सी एल के जी आर में शामिल होना चाहिए। आर सी एल के ए जी आर में दर्शाया गया एक्सेस प्रभार अवसंरचना का उपयोग करने के लिए आर सी आई एल को अनुमति प्रदान करने हेतु प्राप्त किया गया भुगतान था अतः इसको एण्ड यूजर्स राजस्व से बदला नहीं जा सकता है।
- डोंगल, मोबाइल फोन की तरह समान तकनीक का उपयोग कर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है अतः डोंगल सेवाओं का उपयोग कर रहे ग्राहकों से प्राप्त डाटा राजस्व को डायल-अप सेवाओं से प्राप्त राजस्व के रूप में नहीं माना जा सकता है तथा इसको आई एस पी लाइसेंस से संबंधित राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अतः प्रशासकीय प्रभार वास-डाटा से किराया, सेवा शुरू करने/बंद करने के प्रभार इत्यादि के घटक को आर सी एल के जी आर का भाग होना चाहिए।

इस प्रकार आर कनेक्ट सेवाओं से अर्जित राजस्व को आर सी एल द्वारा विचार न करना, इस तथ्य के बावजूद कि इसके वायरलैस ग्राहकों द्वारा सेवाये ली गई थी, यू ए एस अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं था जिसके कारण जी आर ₹ 1866.20 करोड़ से कम बताया गया। परिणामस्वरूप, एल एफ और एस यू सी क्रमशः ₹ 151.07 करोड़ एवं रुपये ₹ 66.79 करोड़ से कम भुगतान किये गये (अनुलग्नक-5.04)।

5.2.1 (य) ग्राहकों के परिसर में फिक्स्ड वायरलेस फोन/टर्मिनल (एफ डब्ल्यू पी/टी) के संस्थापन से राजस्व

फिक्स्ड वायरलेस सेवाओं का प्रावधान करने के लिए टेलिफोन यंत्र/टर्मिनल उपकरण अभिन्न अंग है। जैसा कि लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 में परिभाषित किया गया है कि सेवा देने के लिए ग्राहकों से एकत्रित किए गए अन्य अग्रिम प्रभारों एवं उपकरण लगाने से आय जी आर के दायरे में आएगी। लेकिन यह देखा गया कि उपभोक्ताओं परिसरों में एफ डब्ल्यू पी/टी के लगाने हेतु आर सी एल के ग्राहकों से प्राप्त "वापिस न होने योग्य अग्रिम भुगतान" ₹ 23.16 करोड़ को आर सी आई एल के बही खाते में शामिल किया गया था तथा आर सी एल द्वारा जी आर की गणना हेतु विचार नहीं किया गया। प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- आर सी आई एल ने एफ डब्ल्यू पी/टी के लगाने एवं पुनः वापस लेने की सेवाएं प्रदान की। एफ डब्ल्यू पी/टी ग्राहकों को बेचे नहीं गए। वे केवल "प्रयोग के लिए" आधार पर दिए गए थे। अतः आर सी आई एल ने एफ डब्ल्यू पी/टी ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रभारों को अपने पास रखा तथा आर सी आई एल द्वारा पावती आर सी एल की तरफ से नहीं थी। इसलिए, ऐसे राजस्व को ए जी आर की गणना में शामिल करना सही नहीं था।
- आर सी आई एल ने ग्राहकों के परिसर में उपकरणों के लगाने की सेवाएं प्रदान की जिसके लिए आर सी आई एल ने ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभार प्राप्त किए। इसलिए उपार्जित राजस्व आर सी आई एल से संबंधित था।
- माननीय टीडी सैट ने दिनांक 28 मई 2010 के अपने निर्णय में कहा था कि लगाने के प्रभार उसी व्यक्ति को वापस किये जाने थे जिसने लगाने का कार्य किया अतः यह प्रभार लाइसेंसधारी के ए जी आर के दायरे में नहीं आयेगा।
- दूरसंचार उपकरण लगाना एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है। एक यू ए एस लाइसेंसधारी के लिए यह संभव है कि वह यू ए एस लाइसेंस आवश्यक न होने वाली गतिविधियों को किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित करें तथा ऐसे मामले में हस्तांतरित सेवाओं से अर्जित राजस्व यू ए एस लाइसेंसधारी की लाइसेंस शुल्क की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी निर्धारित किया था कि *लाइसेंसधारी के लिए यह विकल्प खुला हुआ है कि वह उन गतिविधियों का उत्तरदायित्व न ले जिनके लिए उन्हें दूरसंचार अधिनियम के अनुच्छेद (4) के तहत लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है तथा इन गतिविधियों को किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को हस्तांतरित कर दे।*

प्रबंधन द्वारा दिया गया औचित्य अग्रलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया गया:

- यू ए एस एल अनुबंध के अनुसार, लाइसेंसधारी का जी आर टर्मिनल उपकरणों (एफ डब्ल्यू पी/टी) के लगाने से प्राप्त राजस्व को शामिल करेगा। यह तथ्य कि एफ डब्ल्यू पी/टी आर सी एल की संपत्ति थे तथा इसने केवल आर सी आई एल से इनकी स्थापना करने के लिए अनुरोध किया था, आर सी एल एवं आर सी आई एल के बीच हुए पत्राचार से स्पष्ट था। आर सी आई एल केवल एक उपकरण लगाने वाली एजेंसी की भूमिका निभा रहा था इसलिए

इसको भुगतान किए गए प्रभार कंपनी हेतु व्यय होने चाहिए। स्थापना राजस्व का शामिल न किया जाना इसका स्थापना व्यय के विरुद्ध समायोजन के समान है।

- प्रबंधन के प्रत्युत्तर में संदर्भित मई 2010 का टीडी सैट का निर्णय दूरसंचार ऑपरेटर्स से संबंधित नहीं था बल्कि यह डायरेक्ट टू होम (डी टी एच-टी वी प्रसारण से संबंधित) ऑपरेटर्स से संबंधित था।
- लेखापरीक्षा यह स्वीकार करता है कि दूरसंचार उपकरण को लगाना एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु लाइसेंस अनुबंध के नियमों के अनुसार उपकरण लगाने हेतु ग्राहकों से एकत्रित किए गए प्रभार जी आर का भाग होने चाहिए। संस्थापन व्यय अर्थात् आर सी आई एल को किया गया भुगतान आर सी एल की लागत होना चाहिए था।

उपरोक्त के कारण आर सी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी पर कम भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 1.89 करोड़ एवं ₹ 0.84 करोड़ आगणित की गयी (अनुलग्नक 5.05)।

5.2.1 (र) सिम कार्डों का विक्रय मूल्य

ग्राहकों को आपूर्ति किए गए सिम कार्ड मोबाइल दूरसंचार सेवा का अभिन्न अंग है। इसलिये विक्रय किए गए सिम कार्डों का मूल्य दूरसंचार सेवा प्रदाता की जी आर में शामिल होना चाहिए। सिम के विक्रय से आय के महत्व को माननीय उच्चतम न्यायाय ने भी निश्चित करते हुए (अगस्त 2011) यह कहा कि सेलुलर टेलिफोन कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों से सिम कार्ड की बिक्री से प्राप्त की गई राशि सेवा कर के आरोपण के लिए कर योग्य मूल्य में शामिल होगी क्योंकि सिम कार्ड प्रदान की गयी सेवाओं से अलग करके स्वतंत्र वस्तु के रूप में कभी नहीं बेचे जाते हैं, जो उस राजस्व को निश्चित करते हैं। किन्तु यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में सिम कार्डों के विक्रय के माध्यम से अर्जित ₹ 36.94 करोड़ की राजस्व को आर सी आई एल के राजस्व के रूप में दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप आर सी एल का राजस्व इतनी ही राशि तक कम बताया गया जिससे राजस्व शेयर ₹ 4.34 करोड़, जिसमें ₹ 3.01 करोड़ एल एफ के रूप में एवं ₹ 1.33 करोड़ एस यू सी के रूप में था, का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.06)।

आर सी एल अथवा आइ सी आई एल के लेखों में वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए राजस्व की यह जानकारी नहीं मिली तथा प्रबंधन ने यह सूचना नहीं दी कि उन वर्षों में सिम कार्डों के विक्रय से प्राप्त राजस्व को कैसे लेखांकित किया गया है। सूचना के अभाव में लेखापरीक्षा उपरोक्त अवधि के लिए राजस्व कम दर्शाने का आंकलन नहीं कर सकी।

उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

5.3 सकल राजस्व से संबंधित व्यय का निवलीकरण

डी ओ टी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 के अनुसार ऑपरेटर्स के सकल राजस्व में स्थापना के प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैंडसेटों की विक्रय राशि (अथवा अन्य टर्मिनल उपकरण इत्यादि), ब्याज के कारण राजस्व, लाभांश, मूल्य संवर्द्धित सेवाएं, अनुपूरक सेवाएं, एक्सेस अथवा इंटर-कलेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अवसंरचना की अनुमति योग्य हिस्सेदारी से राजस्व तथा अन्य विविध राजस्व, व्यय इत्यादि की संबंधित मद को समायोजित किए बिना, शामिल होंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आर सी एल और आर टी एल के बहीखातों में अनेक राजस्व लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए गए सकल राजस्व व्यय से निवल किये गये थे। उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

5.3.1 आर सी एल/आर टी एल द्वारा प्रीपेड राजस्व को फ्री एयरटाइम से समायोजन के बाद बुक किया जाना

ग्राहकों को प्रदान किया गया फ्री टॉक टाइम/फ्री एयरटाइम को आर सी एल की लेखाकरण प्रणाली में लेखांकित नहीं किया गया तथा ये मिनट्स ऑफ यूसेज (एम ओ यू) बिलिंग चक्र से हटाये गये थे। आर सी एल का यह विचार था कि फ्री टॉक टाइम/फ्री एयरटाइम ग्राहकों को बिना किसी प्रभार के उत्पाद और/अथवा टैरिफ के साथ प्रदान किए गए थे तथा इसलिए मूल्यांकित नहीं किए गये तथा सिस्टम में मूल्य को शामिल नहीं किया गया। चूंकि फ्री टॉक टाइम/फ्री एयरटाइम स्वतः मीडिएशन लेवल⁶ पर स्वतः फिल्टर किए गए थे इसलिए वे सिस्टम में नहीं लिये गये थे तथा इसलिए राजस्व साझेदारी के उद्देश्य हेतु राजस्व के रूप में शामिल करने हेतु विचारित नहीं किये गये।

प्रबंधन ने यह भी कहा (सितम्बर 2016) कि ग्राहकों को ऑफर किये गये फ्री टॉक टाइम/फ्री एयरटाइम/फ्री मिनट्स किसी प्रकार की रियायत अथवा छूट की प्रकृति के नहीं थे। चूंकि फ्री मिनट के द्वारा कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ था इसलिए ये ग्राहकों को जारी किए गए बिलों में शामिल नहीं किये गये थे और इसलिए ए जी आर विवरणियों में शामिल नहीं किये गये।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा मत है कि उपभोक्ता को पेश किया गया एयरटाइम प्राकृतिक संसाधन (आर एफ स्पेक्ट्रम) का उपयोग कर वास्तविक टाकटाईम है। चूंकि सरकार के पास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से उत्पन्न आय में हिस्सा लेने का विधिक दावा होता है, इसलिये यह आवश्यक है कि कम्पनी द्वारा फ्री टाकटाईम/एयर टाईम का मूल्यांकन किया जाये और दर निर्धारित की जाये। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि फ्री टाकटाईम/एयर टाईम हमेशा केवल उपभोक्ताओं को ही नहीं दिये जाते बल्कि फ्रैचाइजी/वितरकों को भी छूट/कमीशन के एवज में दिये जाते होंगे जिनका बाद में उनके द्वारा परिशोधन किया गया होगा। ऐसी परिस्थिति में जहां फ्री एयर टाइम/टाक टाईम की कीमत का आंकलन नहीं किया गया लेखापरीक्षा इसके जी आर पर प्रभाव की पुष्टि नहीं कर सका।

5.3.2 कमीशन/छूट का समंजन के कारण आर सी एल के प्रीपेड राजस्व को कम बताना

आर सी एल और आर सी आई एल के साथ हुए विपणन अनुबंध के अनुसार आर सी आई एल, आर सी एल के उत्पाद के विक्रय हेतु एक अभिकर्ता और प्राधिकृत व्यक्ति था। अनुबंध के अनुसार, आर सी एल समय-समय पर सहमत दर पर अपने प्रीपेड वाउचर का आर सी आई एल को विक्रय करेगा तथा आर सी आई एल इन वाउचरों को उसी शुद्ध मूल्य पर अपने वितरकों को बेचेगा।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के आर सी आई एल की लेखा बहियों में यह देखा गया कि आर सी आई एल द्वारा आर सी एल से उनके उत्पाद की बिक्री से प्राप्त छूट/कमीशन की ₹ 1284.27 करोड़ की राशि को बिलिंग आय के रूप में दर्शाया गया जोकि आर सी आई एल द्वारा वितरकों को कमीशन के बदले दिया गया भुगतान था। फिर भी आर सी एल ने प्रीपेड कार्डों की बिक्री पर आर सी आई एल को दिये गये कमीशन/छूट को निवल किया और केवल शुद्ध अर्जित आय को ही, जिसे ए जी आर हेतु विचार किया गया था, राजस्व के रूप में लेखाकरण किया।

⁶ मीडिएशन उपकरण दूरसंचार नेटवर्क (तंत्र) का एक अंश है जो दूरसंचार के तंत्रों के बीच सूचनाओं को प्राप्त करने, परिष्कृत करने, रिफार्मट और अन्य फार्मट में भेजने का कार्य करता है और इसे सामान्यतः बिलिंग और उपभोक्ता केयर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है।

आर सी एल द्वारा प्रीपेड उत्पादों (सिम कार्ड/रिचार्ज वाउचर) की बिक्री हेतु वितरकों/एजेंटों को दिये गये कमीशन/छूट के मूल्य को व्यापारिक व्यय के रूप में माना जाना था और प्रीपेड कार्डों का सकल मूल्य यथा ऑपरेटर (आर सी एल) द्वारा प्रदान की गई दूस्ंचार सेवा के मूल्य को बिना किसी समंजन के राजस्व के रूप में विचार किया जाना था।

आर टी एल, रिलायंस ग्रुप की अन्य यू ए एस लाइसेंसधारी कंपनी, के पास आर सी एल से भिन्न स्वयं के फ्रैंचाइजी/वितरक थे जिनका अनुषंगी कंपनी आर सी एल के साथ विक्रय एवं विपणन व्यवस्था थी। यह देखा गया कि प्रीपेड कार्डों और रिचार्ज वाउचरों के विक्रय पर आर टी एल द्वारा अर्जित राजस्व को इसके सकल मूल्य के बजाय वितरकों/डीलरों को दी गयी कुल छूट को घटाने के बाद लेखांखित किया गया। चूंकि ऑपरेटर द्वारा ऑफर की गयी छूट की दर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी, फिर भी आर सी एल के प्रीपेड राजस्व एवं इसके द्वारा दी गयी छूट के अनुपात के आधार पर गणना करके लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के लिए आर टी एल प्रीपेड राजस्व को ₹ 680.92 करोड़ कम बताया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- आर सी एल ने आर सी आई एल को बिलिंग एवं कलेक्शन एजेंट के रूप में नियुक्त किया तथा आर सी आई एल ने वितरकों को किसी कमीशन का भुगतान नहीं किया। यह छूट की राशि होती थी, जो प्रीपेड वाउचरों पर वितरकों को ऑफर की गई थी। आर सी आई एल और वितरक के बीच संबंध **प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल** की प्रकृति का था न की प्रीसिपल टू एजेंट का। इसलिए वितरकों को अनुमत्य राशि कमीशन न होकर छूट थी तथा इस राशि को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के उद्देश्य हेतु ए जी आर में शामिल नहीं किया जा सकता। राजस्व प्रीपेड वाउचरों से छूट को घटाने (नेट ऑफ) के बाद बुक किया गया था।
- आर सी एल द्वारा बिक्री एक बतायी गयी/सहमत मूल्य थी, उस सहमत मूल्य पर बीजांकित थी तथा छूट को घटाए बिना (नेट ऑफ) लाभ व हानि लेखा में राजस्व के अंतर्गत बुक की गई थी, वास्तविक विक्रय मूल्य राजस्व होगा तथा एम आर पी एवं इस विक्रय मूल्य के बीच अंतर को सकल राजस्व में नहीं जोड़ा जा सकता है। यह कार्यप्रणाली अप्रैल 2015 के टी डी सैट के निर्णय के अनुरूप थी जिसमें कहा गया था कि यदि विक्रय बताए गए/सहमत मूल्य पर हो, सहमत मूल्य पर बीजांकित हो तथा छूट को घटाये बिना (नेट ऑफ) लाभ व हानि लेखा में राजस्व के अंतर्गत बुक किया गया हो, तो वास्तविक विक्रय मूल्य राजस्व होगा तथा एम आर पी एवं इस विक्रय मूल्य के अन्तर को "सकल राजस्व" में जोड़ा नहीं जा सकता है।
- ए एस-9 उस राजस्व को मान्यता देता है जो नकदी/प्राप्य के रूप में आता है। काल्पनिक आय को राजस्व के रूप में नहीं माना जाता है। वितरकों को ऑफर की गयी छूट कंपनी को उपार्जित राजस्व के रूप में नहीं है तथा कंपनी में कोई नकदी अंतर्प्रवाह उत्पन्न नहीं होता है। अतः इसको कंपनी का राजस्व नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त प्रतिक्रियाएं निम्न वर्णित कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं:

- आर सी आई एल, आर सी एल की सेवाओं का पुर्नविक्रेता न होकर आर सी एल का बिलिंग एवं कलेक्शन एजेंट था। आर सी आई एल की भूमिका आर सी एल की तरफ से कार्य करने

वाले वितरक की प्रकृति की थी तथा आर सी आई एल द्वारा एम आर पी पर बेचे गए उत्पादों का कोई आंतरिक मूल्य नहीं था तथा इसके संपूर्ण मूल्य को आर सी एल ने अपने यू ए एस लाइसेंस की क्षमता पर उपलब्ध कराया था। दूसरे शब्दों में, आर सी आई एल द्वारा बेचे गए सिम कार्ड/रिचार्ज वाउचर आदि का कोई मूल्य नहीं रह गया होता यदि उन्हें आर सी एल द्वारा उपलब्ध कराई सेवाओं से अलग कर दिया जाता। सेवा का विक्रय नहीं किया जा सकता है बल्कि उसे केवल प्रदान किया जाता है। वितरक अंतिम उपभोक्ता तक सेवाओं को उपलब्ध कराने की ऋंखला में केवल एजेन्ट की भूमिका निभाते हैं। इसलिए लेखा परीक्षा का विचार है कि आर सी एल और आर सी आई एल के बीच संबंध केवल प्रिसिपल टू एजेंट की प्रकृति का था न कि प्रिसिपल टू प्रिसिपल का।

- डी ओ टी ने अप्रैल 2015 के टी डी सैट के निर्णय को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है अतः इस निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता है।
- लेखापरीक्षा ए एस-9 के अनुसार लेखांकन पर प्रश्न नहीं लगा रहा है बल्कि यह तर्क देता है कि छूट/कमीशन का निवलीकरण लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप नहीं था।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आर सी एल एवं आर टी एल दोनों के जी आर क्रमशः ₹ 1284.27 करोड़ व ₹ 680.92 करोड़ से कम करके बताये गये थे। परिणामस्वरूप आर सी एल का एल एफ ₹ 103.77 करोड़ एवं एस यू सी पर ₹ 45.95 करोड़ से कम भुगतान किया गया, जबकि आर टी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी का कम भुगतान क्रमशः ₹ 51.32 करोड़ एवं ₹ 31.49 करोड़ था। (अनुलग्नक 5.07)

5.4 राजस्व शेयर हेतु प्रस्तावित नहीं की गई आय

लाइसेंस अनुबंध जहां कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप लाइसेंसधारक कम्पनियों को अपने लेखापरीक्षकों से लेखा प्रमाणीकरण करना निर्धारित करते हैं वहीं यह भी विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि राजस्व शेयर विवरणों में शामिल राजस्व तथा उनके लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखों में मिलान किया जाना चाहिए।

संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार किये गये तथा आडिटर्स रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये गये ट्रायल बैलेंस, लेखापरीक्षित ए जी आर विवरणियों तथा नोट्स ऑन एकाउन्ट्स की समीक्षा एवं इनकी आर सी एल के 2010-11 से 2014-15 तक के लिए प्राथमिक लेखा अभिलेखों से तुलना ने दर्शाया कि कम्पनी के लेखा में शामिल कुछ श्रेणियों के अंतर्गत आय/राजस्व जी आर/ए जी आर की गणना एवं राजस्व शेयर के भुगतान हेतु शामिल नहीं किये गये थे, ये राजस्व, जिन्हें ए जी आर का हिस्सा बनना चाहिए को ए जी आर विवरणियों में शामिल नहीं किये गये थे। इसके अलावा मिलान विवरणियों ने भी उपरोक्त आय को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया। इस प्रकार छोड़ी गई गई आय पर नीचे चर्चा की गई है:

5.4.1 राजस्व शेयर के लिए प्रस्तावित नहीं की गई ब्याज आय

लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 के अनुसार देय लाइसेंस फीस की गणना हेतु ब्याज आय को लाइसेंसधारक के जी आर में शामिल किया जाना था।

आर सी एल ने वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 2093.02 करोड़ की राशि को ब्याज आय के रूप में लेखा में शामिल किया था परन्तु इस राशि को राजस्व शेयर के भुगतान के लिए

कम्पनी के जी आर में शामिल नहीं किया गया था। आर टी एल द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राजस्व शेयर हेतु ऑफर नहीं की गई ब्याज आय ₹ 27.61 करोड़ थी। इस प्रकार आर सी एल और आर टी एल दोनों कम्पनियों द्वारा ए जी आर से हटाई गई ब्याज आय की राशि ₹ 2120.63 करोड़ बनती थी।

ए जी आर से ब्याज आय को हटाने का अर्थ आर सी एल द्वारा एल एफ पर ₹ 168.61 करोड़ और एस यू सी पर ₹ 74.43 करोड़ की धनराशि का कम भुगतान था। इस लेखा में आर टी एल द्वारा एल एफ और एस यू सी के कम भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 2.04 करोड़ व ₹ 1.29 करोड़ आई (अनुलग्नक 5.08)।

5.4.2 राजस्व शेयर के लिए प्रस्तावित नहीं की गयी अन्य आय

यह देखा गया कि आर सी एल एवं आर टी एल ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 में अन्य आय के रूप में ₹ 941.37 करोड़ लेखांकित किए थे। अन्य आय के रूप में वर्गीकृत आय में 'विविध आय, प्राप्त किया गया किराया, स्क्रेप का विक्रय इत्यादि' शामिल था। तथापि, इस आय को उपरोक्त अवधि हेतु ए जी आर में शामिल किया जाना नहीं पाया गया जिससे राजस्व को कम करके दिखाया गया।

आर सी एल प्रबंधन ने प्रतिक्रिया देते हुए (सितम्बर 2016) कि:

- आर सी एल ने अगस्त 2007 के टीडी सैट के निर्णय के परिदृश्य में वित्तीय वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही से आगे ब्याज आय पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है। जैसा कि टी डी सैट ने निर्णय दिया था कि केवल दूरसंचार गतिविधियों से संबंधित आय पर ही लाइसेंस शुल्क देय था इसलिए ब्याज आय पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।
- यू ए एस लाइसेंस अनुबंध, लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य से आय पर नहीं बल्कि राजस्व पर चर्चा करता है। "आय" और "राजस्व" समरूप नहीं हैं। राजस्व मुख्य रूप से उस राशि को सन्दर्भित करता है जो किसी व्यापार के प्रचालन से प्राप्त की जाती है जबकि आय का क्षेत्र राजस्व की अपेक्षा अधिक व्यापक है।
- इसके अलावा, 'समायोजित सकल राजस्व' की गणना में केवल ब्याज और/अथवा लाभांश आय, जिनका दूरसंचार सेवाओं से सीधा संबंध है, ही शामिल किये जाने के योग्य हैं। लेखापरीक्षा इंगित किये गये, मामले में (अ) देनदारों से/पर अर्जित आय तथा (ब) दूरसंचार गतिविधियों में निवेशों से अर्जित ब्याज और/अथवा लाभांश आवश्यक रूप से शामिल होंगे।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं की गई थी:

- लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा राजस्व शेयर की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में ब्याज आय को शामिल करने का स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है।
- टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2011 में रद्द कर दिया इसलिए यू ए एस एल अनुबंध में शामिल राजस्व की परिभाषा अपरिवर्तित रही।

राजस्व शेयर के भुगतान हेतु अन्य आय के रूप में वर्गीकृत आय को शामिल नहीं करना आर सी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 67.66 करोड़ एवं ₹ 29.40 करोड़ में फलित

हुआ जबकि यह कम भुगतान आर टी एल द्वारा क्रमशः ₹ 8.23 करोड़ एवं ₹ 4.94 करोड़ था (अनुलग्नक 5.09)।

5.4.3 फोरेक्स लाभ से आय

लाइसेंस अनुबंध के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में परिभाषित सकल राजस्व की परिभाषा के संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डी ओ टी को राजस्व शेयर के भुगतान के उद्देश्य से सकल राजस्व की गणना हेतु सभी राजस्वों पर विचार करना है। चूंकि लाइसेंस अनुबंध, संबंधित व्यय के समायोजन का प्रावधान नहीं करता इसलिए विनिमय अंतरों से प्राप्त सभी लाभों को जी आर में शामिल किया जाना है।

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के वार्षिक लेखों में यह पाया गया कि संबंधित राजस्व लेखा के अंतर्गत फोरेक्स लाभ विभिन्न व्यय लेखा के अंतर्गत दर्ज फोरेक्स हानि से समंतिज किए गए। इसके परिणामस्वरूप लाभों को हानियों के विरुद्ध निवला किया गया जिससे जी एल शेष 'शून्य' हुआ। इस प्रकार ए जी आर में शामिल नहीं किये गये फोरेक्स लाभ की गणना ₹ 754.05 करोड़ की गई जिसमें आर सी एल की ₹ 635.44 करोड़ तथा आर टी एल की ₹ 118.61 करोड़ की राशि शामिल थी।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- आर सी एल ने वित्तीय वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही तक प्राप्त फोरेक्स लाभ की राशि ₹ 500.96 करोड़ पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही से आर सी एल ने अगस्त 2007 के टीडी सैट के निर्णय के अनुरूप लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आरंभ किया तथा इस टीडी सैट के मार्च 2009 के इस निर्णय को आर सी एल पर भी लागू किया गया तथा कम्पनी ने ऐसी गैर-दूरसंचार राजस्व मदों पर चुकायी लाइसेंस शुल्क की वापसी हेतु दावा डी ओ टी से किया है।
- इसके अलावा विनिमय लाभ पूंजीगत वस्तुओं के भुगतान पर दायित्व को केवल कम कर सकता था। चूंकि उपकरण की लागत का लाइसेंस शुल्क पर कोई प्रभाव नहीं था इसलिए पूंजीगत माल की लागत में कमी से उत्पन्न लाभ को राजस्व के रूप में माना नहीं जा सकता है।
- दूरसंचार कम्पनियां ए एस 9 का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसे न्यायालय द्वारा भी मान्यता तथा स्वीकार किया गया है। ए एस 9, फोरेक्स लाभ को राजस्व के रूप में स्वीकार नहीं करता है तथा इस प्रकार कम्पनी, डी ओ टी को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी।
- दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय टीडी सैट को उन घटकों/शीर्षों को निश्चित करने की अनुमति प्रदान की जो दूरसंचार विभाग द्वारा कम्पनी की ए जी आर में शामिल किए जा सकते हैं। तदनुसार माननीय टी डी सैट ने अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में बताया कि फोरेक्स लाभ पर लाइसेंस शुल्क देय नहीं थे।
- समान प्रकृति वाले लेन-देन के जी एल कोड में शामिल किए गए फोरेक्स में उतार/चढ़ाव होने पर, परिणाम नेट आधार होना चाहिए।

- केवल आर टी एल ने वर्ष 2010-11 में ₹ 13.29 करोड़ के फोरेक्स लाभ को प्राप्त किया तथा अन्य सभी वर्षों में इसे आर टी एल के अतिरिक्त आर सी एल हेतु फोरेक्स हानि ही हुई। अतः राशि को ए जी आर में वापिस जोड़ा नहीं जा सकता है।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हैं:

- अक्टूबर 2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय को रद्द किया था तथा इसलिए जो निर्णय शून्य एवं रद्द हो गया उसको एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान हेतु आधार मानना औचित्यहीन था।
- फोरेक्स लाभ/हानि वैयक्तिक लेन-देन का परिणाम होते हैं। वैयक्तिक लेन-देन को मिलाया नहीं जा सकता है।
- हानि के निवलीकरण के उपरांत फोरेक्स लाभ को मान्य करना लाइसेंस अनुबंध की शर्तों से विपथन होगा, जो प्रावधान करता है कि जी आर को संबंधित व्यय का समंजन किये बिना दर्ज करना चाहिए।

फोरेक्स लाभ को हटाने के कारण उपरोक्त ऑपरेटर्स के जी आर को कम बताने से आर सी एल द्वारा लाइसेंस शुल्क का ₹ 51.54 करोड़ एवं एस यू सी का ₹ 22.82 करोड़ तथा आर टी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 8.83 करोड़ एवं 5.56 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.10)।

5.4.4 पट्टे पर दिये गये बैंडविड्थ से प्राप्त राजस्व एस यू सी के लिए विचार नहीं करना

यू ए एस एल अनुबंध में प्रावधान है कि 'राजस्व शेयर पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभारों के लगाने के सीमित उद्देश्य हेतु ए जी आर की गणना करते समय वायरलाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा'। यू ए एस एल अनुबंध हेतु निर्धारित राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क (ए जी आर विवरण) के विवरणी के प्रारूप उन मदों को दर्शाते हैं जिन्हें वायरलाइन आय के रूप में वर्गीकृत करना है और इस प्रकार यह स्पष्ट था कि डी ओ टी ने माना था कि वायरलाइन आय के रूप में उल्लेखित वर्ग से बाहर राजस्व की सभी मदों को एस यू सी के भुगतान हेतु शामिल करना चाहिए।

आर सी एल के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए ए जी आर विवरणियों में बैंडविड्थ लिंक की बिक्री/पट्टे पर देना, आर एवं जी मामले, टर्नकी परियोजनाएं इत्यादि से प्राप्त राजस्व शुद्ध वायरलाइन राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गये थे। उपरोक्त से अर्जित राजस्व राशि ₹ 1053.38 करोड़ को देय एस यू सी की गणना करते समय कम्पनी द्वारा विचार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37.97 करोड़ से एस यू सी का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक- 5.11)।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि :

- लाइसेंस अनुबंध में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केवल वायरलेस अभिदाताओं से अर्जित ए जी आर पर ही स्पेक्ट्रम शुल्क देय होगा। चूंकि लीज लाइन राजस्व, वायरलेस राजस्व नहीं होता है तथा लीज लाइन सेवाओं को प्रदान करने हेतु किसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए स्पेक्ट्रम फीस के लिए ए जी आर में लीज लाइन राजस्व को शामिल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

- डी ओ टी ने दिनांक 8 जनवरी 2013 के अपने पत्र में लीज लाइन राजस्व पर स्पैक्ट्रम प्रभारों की मांग उठायी है जिसको कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय चेन्नई में चुनौती दी थी और दिनांक 23 जून 2016 के आदेश के जरिये डी ओ टी द्वारा लीज लाइन राजस्व पर स्पैक्ट्रम प्रभारों की ₹ 219 करोड़ की राशि की मांग पर स्टे प्राप्त कर लिया है।

प्रबंधन की उपरोक्त प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ए जी आर विवरण के प्रारूप (यू ए एस एल अनुबंध के अनुलग्नक II के परिशिष्ट-II) के अनुसार लाइन आइटम 1 ए के अंतर्गत आने वाले राजस्व ही केवल वायरलाइन सेवाओं से राजस्व के रूप में माने गये थे। डी ओ टी ने बैंडविड्ध लिंक की/बिक्री/पट्टे पर देना, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाओं इत्यादि से प्राप्त राजस्व को लैंडलाइन सेवाओं के मद के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया था। इसके अलावा, डी ओ टी द्वारा की गई मांग पर माननीय उच्च न्यायालय चेन्नई के स्थगन (स्टे) आदेश को इस मामले में अंतिम न्यायिक घोषणा नहीं कहा जा सकता है।

5.5 राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क के विवरणों (ए जी आर विवरणों) में प्रकटीकरण

यू ए एस एल अनुबंध में प्रावधान था कि प्रचालक कम्पनी का लेखा इसके वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके साथ-साथ अनुबंध में लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस संबंधी गतिविधि से प्राप्त राजस्व पहचान करने एवं उसको बताने हेतु पृथक एवं विशिष्ट मानदंड/दिशानिर्देश भी प्रदान किये थे। यू ए एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III में वर्णित इन मानकों में लाइसेंसधारी द्वारा बताई गए जी आर के सुलभ मूल्यांकन हेतु डी ओ टी को सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सूचना को प्रकट करने का प्रावधान किया है। लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 20.2 एवं 20.6 के साथ पठित मानदंड/दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि जबकि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों, स्वीकार्य लेखा संबंधी मानकों इत्यादि का अनुपालन करते हुए अपना लेखा तैयार करना लाइसेंसधारी कम्पनी का विशेषाधिकार है, राजस्व शेयर के भुगतान के उद्देश्य से लाइसेंसधारी कम्पनी के ए जी आर की गणना यू ए एस लाइसेंस में वर्णित राजस्व की परिभाषा के अनुसार होगी।

लाइसेंस कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षक को, जो कम्पनी अधिनियम में प्रावधानों/संबंधित लेखा मानकों इत्यादि के अनुसार लेखा तैयार करते हैं, यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि लाइसेंस अनुबंध (अनुलग्नक II के परिशिष्ट-I) में शामिल मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क का विवरण तैयार किया गया है।

रिपोर्ट में दर्शाये गए राजस्व को कम बताने के उदाहरण पुष्टि करते हैं कि आर सी एल एवं आर टी एल द्वारा लाइसेंस शुल्क एवं एस यू सी के भुगतान हेतु प्राप्त राजस्व की पहचान न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थी और न ही लेखा को तैयार करने में डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों का पूरी तरह अनुपालन किया गया। यद्यपि प्रबंधन ने कहा है कि छूट को समायोजित करने के बाद राजस्व बुक किया गया, किन्तु लाइसेंस अनुबंध के अनुसार आर सी एल एवं आर टी एल के वार्षिक लेखा में इसका विवरण कभी नहीं दर्शाया गया। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया कि उस बिल योग्य राजस्व को ए एस-9 के अनुसार सकल राजस्व के रूप में दर्शाया गया तथा बिल योग्य धनराशि पर कोई छूट प्रदान नहीं की गयी। प्रबंधन का पक्ष लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं था क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी की सेवा आय सकल रूप में दर्शानी थी तथा छूट कटौती के विवरणों को अलग से दर्शाना था।

5.6 कम भुगतान किए गए राजस्व शेयर पर ब्याज

उपरोक्त (पैरा 5.2 से 5.4) में उठाए गए मुद्दों पर एल एफ एवं एस यू सी पर कम/गैर भुगतान होने की राशि की गणना क्रमशः ₹ 709.52 करोड़ एवं ₹ 363.16 करोड़ की गयी। एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान होने पर ब्याज ₹ 839.09 करोड़ (अनुलग्नक 5.12) था। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर (वित्तीय वर्ष के आरम्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालिक प्राइम लेंडिंग रेट से 2 प्रतिशत उपर) पर आधारित थी तथा गणना में शामिल अवधि संबंधित वित्तीय वर्ष के अन्त से मार्च 2016 तक थी।

5.7 डी ओ टी की प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सितम्बर 2016 में प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रूप में प्रारंभिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों को डी ओ टी को प्रेषित किया गया तथा इसकी एक प्रति रिलायंस प्रबंधन को भी दी गई। डी ओ टी को प्रबंधन की प्रतिक्रिया अक्टूबर 2016 में प्राप्त हुई, जिसकी प्रति लेखापरीक्षा को भी पृष्ठांकित की गई थी। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया सामान्यतः लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन द्वारा बताए गए उत्तरों की पुनरावृत्ति थी। प्रत्युत्तरों को यथोचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। डी ओ टी का उत्तर पैरा 2.4 में वर्णित है।

